



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 22, 2010/चैत्र 1, 1932

No. 125]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22, 2010/CHAITRA 1, 1932

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2010

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2010

सा.का.नि. 201(अ).—स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ में अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 182(अ), दिनांक 19 मार्च, 2009 को उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा एक वर्ष के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- (i) माननीय न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट —अध्यक्ष
(ii) माननीय न्यायमूर्ति एस. एन. डींगरा —सदस्य
(iii) माननीय न्यायमूर्ति एस. एल. भयाना —सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2010 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. यू. 11016/01/2010-पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस.]

नीता गुप्ता, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :— यह अधिसूचना सं. सा.का.नि.182(अ), दिनांक 19 मार्च, 2009 के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 19 मार्च, 2009 को प्रकाशित हुई थी।

G.S.R. 201(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. G.S.R. 182(E), dated 19th March, 2009 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

- (i) Hon'ble Mr. Justice S. Ravindra Bhat —Chairman
(ii) Hon'ble Mr. Justice S. N. Dhingra —Member
(iii) Hon'ble Mr. Justice S. L. Bhayana —Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2010.

[F. No. U. 11016/01/2010-PITNDPS]

NITA GUPTA, Under Secy.

Foot Note :—The Notification No. G.S.R. 182(E), dated 19th March, 2009 was published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i) on 19th March, 2009.